

बजट अनुमान 2004-2005

वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमानों में वर्ष 2003-2004 के संशोधित अनुमानों की तुलना में राष्ट्रीय लघु बचत निधि को देनदेरियों की वापसी-अदायगी को छोड़कर 29,782 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि दिखाई देती है। जबकि आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि 16,218 करोड़ रुपए है आयोजना के अधीन 13,564 करोड़ रुपए है जिसमें से 5,044 करोड़ रुपए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता और 8,520 करोड़ रुपए केंद्रीय आयोजनाओं पर व्यय के लिए है। आयोजना-भिन्न अनुमानों में मुख्य मदों की घट-बढ़ को नीचे सारणी में दिया गया है:-

(करोड़ रुपए)

	संशोधित 2003-04	बजट 2004-05	घट-बढ़
			(करोड़ रुपए)
आयोजना-भिन्न			
1. व्याज संदाय	120475	129500	(+) 9025
2. रक्षा	60300	66000	(+) 5700
3. स्वास्थ्य सेवाएँ	25200	27800	(+) 2600
4. उर्वरक सेवाएँ	11797	12662	(+) 865
5. पेट्रोलियम सेवाएँ	6573	3560	(-) 3013
6. राज्य सरकारों को अनुदान/ऋण	15017	19127	(+) 4110
7. कृषि और संबद्ध सेवाएँ	1081	2096	(+) 1015
8. पुलिस	8331	9629	(+) 1298
9. चुनाव	461	1162	(+) 701
10. अन्य आयोजना-भिन्न व्यय	56910	50827	(-) 6083
जोड़ (आयोजना-भिन्न) व्यय	306145	322363	(+)16218
आयोजना			
1. केंद्रीय आयोजना	72847	81367	(+) 8520
2. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता	48660	53704	(+) 5044
जोड़ (आयोजना) व्यय	121507	135071	(+)13564

- यह वृद्धि सरकारी व्यय के वित्तपोषण के लिए ऋण संसाधनों पर बनी हुई निर्भरता के कारण है।
- बढ़ी हुई यह व्यवस्था रक्षा बलों के वेतन और भत्तों तथा आधुनिकीकरण पर वर्धित व्यय को पूरा करने के लिए है।
- खाद्यान्नों के वृद्धि उठान के कारण है।
- यह वृद्धि यूरिया तथा नियंत्रण-मुक्त उर्वरकों की आवश्यकता में प्रत्याशित बढ़ोतरी के कारण है।
- यह कमी एक निश्चित समयावधि के भीतर पैट्रोलियम सब्सिडी चरण बद्ध तरीके से समाप्त करने के निर्णय के अनुरूप है।
- यह वृद्धि ग्यारहवें वित्त आयोग की राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदानों की सिफारिशों के आधार पर है।
- यह सहकारी ऋण ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सामान्य अभिवृद्धि तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबांड) के माध्यम से अनुदानों की व्यवस्था के लिए है।
- इस वृद्धि में सामान्य अभिवृद्धि के साथ-साथ पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को विशेष सहायता शामिल है।
- यह वृद्धि 2004 में आम चुनाव करवाने संबंधी अतिरिक्त व्यय के प्रावधान के कारण है।